न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 07 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. डुंगराराम पुत्र प्रागाराम	बनाम	1.लछाराम पुत्र गोमदाराम
2. भलाराम पुत्र प्रागाराम		2.गेनाराम पुत्र गोमदाराम
3. फगलुराम पुत्र भुराराम जाति मेगवाल निवासी अणखिया त्हसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		3.पुनमाराम पुत्र प्रागाराम
		4.सादुलाराम पुत्र प्रागाराम
		5.जोधाराम पुत्र प्रागाराम
		6.गुणेशाराम पुत्र भुराराम
		7.रूपोदेवी पत्नी नारायणराम जाति मेगवाल निवासी अणखिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
		8.शाखा प्रबन्धक बी सी सी बी शाखा नौखडा
		9.तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 15 / 2018 बअनवान लछाराम बनाम पूनमाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2021 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री विष्णु चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री लाखाराम साहू रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– **09.11.2021**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी / उतरदाता संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 एक ही कुटुम्ब के सदस्य है जो हिन्दु विधि से शासित है। उभयपक्षकारान की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 61 रकबा 13.16 बीघा, खसरा संख्या 132 रकबा 125.09 बीघा, खसरा संख्या 432 रकबा 02.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

15 बीघा का मौजा अणखिया तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। अपीलाधीन आराजी में वादीगण संख्या 01 व 02 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 06 व 07 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का कब्जा काश्त है तथा इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज है तथा अपने हक हिस्सों की भूमि में रहवासी ढाणीया, चारबाड़े, टांके आदि बने हुए है भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें हिस्से खुले हुए नहीं होने से सेढों को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण से पृथक कर बंटवाड़ा करवाना चाहते इस आश्य का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया वो एकपक्षीय रूप से तैयार किया गया। तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवयना नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी वहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्तवा के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूवरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जवकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर वंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन वरावर–वरावर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.07.2019 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि <u>तहसीलदार स्वयं</u> द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है <u>तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए।</u> वंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के

राजस्व अपील अधिकारी
बाडमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2018 बअनवान लछाराम वनाम पूनमाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलीय न्यायालय के आदेश की अक्षरस पालना करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्‌देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निर्णय दो माह में पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.12.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर